



# उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक

(पूर्ववर्ती आर्यावर्त बैंक)

क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा

परिशिष्ट IV-A  
(नियम 9(1) परन्तुक देखें)

## अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले (उधारकर्ता/उधारकर्ताओं) और प्रत्याभूति-दाता (गारंटर/गारंटर्स) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति/संपत्तियों जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक कब्जा प्रतिभूत लेनदार, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (पूर्ववर्ती बड़ोदा यूपी बैंक) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर निम्नलिखित दिनांक को, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक (पूर्ववर्ती बड़ोदा यूपी बैंक), प्रतिभूत लेनदार द्वारा निम्नलिखित उधारकर्ता/उधारकर्ताओं एवं गारंटर/गारंटर्स से बकाया राशि की वसूली हेतु बचा जाएगा।

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले (उधारकर्ता/उधारकर्ताओं) और प्रत्याभूति-दाता (गारंटर/गारंटर्स) को यह नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने SARFAESI अधिनियम, 2002 के तहत नीचे बताई गई अचल संपत्तियों के लिए बिड/टेंडर/कोटेशन आमंत्रित करने का फैसला किया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों/बोली लगाने वालों से अनुरोध है कि वे नीचे बताई गई सभी शर्तों को पूरा करते हुए, अपनी बिड एक सीलबंद लिफाफे में 11.03.2026 को शाम 4 बजे तक या उससे पहले उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय: आगरा में जमा करें। बिड 12.03.2026 को दोपहर 12:00 बजे से 01:00 बजे के बीच खोली जाएगी।

बकायेदार/जमानतदार का नाम, पता व खाता संख्या	अचल सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना दिनांक	आरक्षित मूल्य
		बकाया धनराशि	अंतिम धनराशि (ईएमडी)

### शाखा: सिविल लाइंस, आगरा

ऋणी- मेसर्स धीरमती कंस्ट्रक्शन प्रोप. श्रीमती धीरमती एवं श्रीमती धीरमती पत्नी श्री वेदपाल चौधरी, गारंटर- श्री वेदपाल पुत्र श्री राधेश्याम एवं श्री सौदन सिंह पुत्र श्री फौरन सिंह	संपत्ति के सभी भाग एवं खण्ड समाविष्ट प्लॉट नंबर 1 अंचल आवासीय संपत्ति स्थित मिन. खसरा नंबर 312, वाके जहरपुरी, मौजूदा देहतेरा, तहसील एवं जिला - आगरा, एरिया- 167.22 वर्ग मी., संपत्ति श्रीमती धीरमती पत्नी श्री वेदपाल चौधरी के नाम, चौहद्दी: पूर्व- रास्ता 9 मीटर चौड़ा, पश्चिम- ज़मीन दीगर शाख्स, उत्तर- प्लॉट नंबर 2, दक्षिण- रास्ता 9 मीटर चौड़ा	24.04.2025	57,59,100/-
		8,74,964.21	5,75,910/-

ऋणी- धीरेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद, गारंटर- श्री ऋषि कांत पुत्र श्री राम बाबू एवं श्री धर्मेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद	संपत्ति के सभी भाग एवं खण्ड समाविष्ट खसरा नंबर 652 एवं 653 अंचल आवासीय संपत्ति स्थित मौजूदा बोदला, तहसील एवं जिला आगरा, एरिया- 98.81 वर्ग मी., संपत्ति श्री धीरेन्द्र कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद के नाम, चौहद्दी: पूर्व- अन्य की संपत्ति, पश्चिम- संपत्ति रास्ता, उत्तर- श्री जानी कुमार की संपत्ति, दक्षिण- श्री सुंदर कुमार की संपत्ति	15.01.2019	22,33,800/-
		9,37,038/-	2,23,380/-

ऋणी- 1. श्री धर्मेन्द्र कुमार पन्थम, पुत्र श्री भागीरथ पन्थम, 2. श्री हेमंत कुमार पन्थम पुत्र श्री भागीरथ पन्थम, 3. श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री भागीरथ पन्थम, 4. श्रीमती नीलम रानी पत्नी श्री कपिल अंबेश, गारंटर- श्री अनार सिंह पुत्र श्री भूपाल सिंह एवं श्री करण सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह	मकान नगर निगम नंबर 46/28 ई आनंद नगर, मौजूदा- खतौना ज़िला- आगरा, एरिया- 120 वर्ग गज = 100.32 वर्ग मी., संपत्ति श्री धर्मेन्द्र कुमार पन्थम पुत्र श्री भागीरथ पन्थम, श्री हेमंत कुमार पन्थम पुत्र श्री भागीरथ पन्थम, श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री भागीरथ पन्थम एवं श्रीमती नीलम रानी पत्नी श्री कपिल अंबेश के नाम, चौहद्दी: पूर्व- मकान एवं रास्ता की एंटी, पश्चिम- नथी लाल की संपत्ति, उत्तर- मोहन लाल का मकान, दक्षिण- कलेशी का मकान	20.08.2018	26,97,300/-
		11,24,336/-	2,69,730/-

ऋणी एवं बंधककर्ता- मो. आजाद पुत्र मो. अफजल, गारंटर- मो. अकरम पुत्र मो. छोटे एवं मो. चांद पुत्र मो. छोटे	संपत्ति के सभी भाग एवं खण्ड समाविष्ट अचल संपत्ति/आवासीय प्लॉट नंबर 2, दूसरी मंजिल, स्थित मिन खसरा नंबर 480, मुहल्ला मोहम्मद अली पट्टी एवं मोहम्मद इलाही बेगम कब्जा नंबर 1 एवं मिनजुमला संपत्ति नंबर 41/34ए वाके शोला प्लाज़ा बिल्डिंग, मदिवा कटरा, तोता का ताल, लोहामंडी, तहसील एवं जिला- आगरा, एरिया- 88.93 वर्ग मीटर, संपत्ति मोहम्मद आजाद पुत्र मोहम्मद अफज़ल के नाम, चौहद्दी: पूर्व- अन्य व्यक्ति की संपत्ति, पश्चिम- प्लॉट पवन आसिजा एवं श्रीमती अजना आसिजा, उत्तर- खुला आसमान उसके बाद मंदिर, दक्षिण- कुछ हिस्से में नाला और कुछ हिस्से में प्लेटे को दीवार और कुछ हिस्से में निकास एवं 3'6" चौड़ा आम रास्ता	28.02.2023	15,10,200/-
		9,51,334.05	1,51,020/-

### शाखा: लोहामंडी, आगरा

ऋणी- शंकरलाल पुत्र देवी दास उर्फ देवी सिंह, गारंटर- दिनेश कुमार पुत्र देवी दास उर्फ देवी सिंह, गारंटर एवं बंधककर्ता- शकुंतला देवी पत्नी देवी दास उर्फ देवी सिंह	संपत्ति के सभी भाग एवं खण्ड समाविष्ट अंचल संपत्ति स्थित खसरा नंबर 370, वाके आनंद नगर, माजरा मौजा- खतौना, वार्ड लोहामंडी, परगना एवं जिला आगरा, एरिया- 83.61 वर्ग मी. (100 वर्ग गज), संपत्ति श्रीमती शकुंतला देवी पत्नी देवी दास उर्फ देवी सिंह के नाम, चौहद्दी: पूर्व- अन्य संपत्ति, पश्चिम- रास्ता 6 फीट, उत्तर- संपत्ति, दक्षिण- रास्ता 12 फीट	16.08.2021	14,60,000/-
		6,62,766.62	1,46,000/-

नीलामी की दिनांक: 12.03.2026 ई.एम.डी. जमा करने की अन्तिम दिनांक 11.03.2026

### नियम एवं शर्तें

- इच्छुक बोली लगाने वालों को अपना बिड सीलबंद लिफाफे में पैन कार्ड और फोटो पहचान पत्र के साथ जमा करना होगा (लिफाफे पर प्रकाशन की तारीख और बोली लगाने वाले का नाम होना चाहिए)
- बोली खोलने/बिक्री का काम उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक मोहनगंज शाखा जिला प्रतापगढ़ के परिसर में किया जाएगा। सभी इच्छुक पक्ष (ऋणी, गारंटर और बोली लगाने वाले) बोली खोलने में भाग ले सकते हैं।
- बोली लगाने वाले को बिड के साथ 'अधिकृत अधिकारी, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक' के पक्ष में और प्रतापगढ़ में देय डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में आरक्षित मूल्य का 10 प्रतिशत बयाना राशि जमा करनी होगी। सबसे ज्यादा बिड मूल्य (जो आरक्षित मूल्य से कम नहीं होना चाहिए) को सफल बोली लगाने वाला माना जाएगा और असफल बोली लगाने वालों की बाकी बिड बिना ब्याज के एक सप्ताह के भीतर वापस भेज दी जाएगी।
- सफल बोली लगाने वाले को बिड राशि का 25 प्रतिशत (ईएमडी सहित) उसी दिन (या ज्यादा से ज्यादा अगले दिन) डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में जमा करना होगा और बाकी 75 प्रतिशत राशि बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर सख्ती से भुगतान करनी होगी। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा पहले जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी।
- अधिकृत अधिकारी बिना किसी कारण या पूर्व सूचना के किसी भी बिड/सबसे ज्यादा बिड को स्वीकार/अस्वीकार/रद्द/निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अधिकृत अधिकारी बिक्री/नीलामी की तारीख बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- अधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया शुल्क/ग्रहणाधिकार/भार/कर/सरकारी बकाया और अन्य पक्ष के दावों और बकाया के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम कीमत पर नहीं बेची जाएगी।
- स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण, संपत्ति कर या राज्य सरकार को देय राशि आदि का भुगतान सफल बोली लगाने वाले को करना होगा।
- बिड बिक्री बंद की पुष्टि के अधीन होगी। संपत्तियां 'जैसी है जहाँ है', 'जैसी है वहाँ है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेची जाएगी।
- संपत्तियों के बारे में संतुष्ट होना और पुष्टि करना बोली लगाने वालों की एकमात्र जिम्मेदारी है। वे किसी भी वार्किंग दिन दोपहर 12:00 बजे से शाम 04:00 बजे के बीच संबंधित ब्रांच से समय लेकर प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं/निरीक्षण कर सकते हैं।
- यह नोटिस आम जनता और विशेष रूप से कर्जदारों / गारंटर (रों) / गिरवी रखने वालों को दिया जाता है।
- बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सियागेंड क्रेडिटर की वेबसाइट, यानी <https://upgb.bank.in/sdashboard.php> पर दिए गए लिंक को देखें।
- वैधानिक ब्याज प्रवर्तन नियम 2002 के अन्तर्गत (नियम 8 (6)/ नियम 9 (1) वैधानिक 30/15 दिन की बिक्री सूचना इसे ई-नीलामी बिक्री की होल्डिंग अंतर्गत उक्त ऋण के उधारकर्ता एवं जमानतकर्ता नियम को सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नोटिस के नियम 8(6) / नियम 9 (1) के रूप में भी माना जा सकता है।

दिनांक : 04.02.2026

स्थान- आगरा

प्राधिकृत अधिकारी